

फार्मेट II

वर्ष 2018-19 / 2019-20 के लिए रु.3 लाख तक के अल्पावधि फसल ऋणों / गंभीर प्राकृतिक आपदा के कारण पुनः संरचित ऋणों की समय पर चुकौती करने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त सबवेंशन हेतु एकबारगी दावा

बैंक का नाम _____

	*7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर कुल अल्पावधि उत्पादन ऋण		* कुल अल्पावधि उत्पादन ऋण जिसे समय पर चुकाया गया था		3 प्रतिशत की दर से दावा की गई अतिरिक्त सबवेंशन राशि (वास्तविक रुपए में)
	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरण राशि (लाख रुपए में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरण राशि (लाख रुपए में)	
3 लाख रुपए तक के ऋण					

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत के लिए वर्ष 2018-19 / 2019-20 के लिए अतिरिक्त 3% के सबवेंशन हेतु एकबारगी श्रेणी-वार दावा

	*उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत के लिए कुल अल्पावधि उत्पादन ऋण जिसे समय पर चुकाया गया था								
	सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरण राशि (लाख रुपए में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रुपए में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरण राशि (लाख रुपए में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रुपए में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरण राशि (लाख रुपए में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रुपए में)
3 लाख रुपए तक के ऋण									

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वर्ष 2018-19 / 2019-20 के लिए अतिरिक्त 3% के सबवेंशन हेतु एकबारगी श्रेणी-वार दावा

	*उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए कुल अल्पावधि उत्पादन ऋण जिसे समय पर चुकाया गया था								
	सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरण राशि (लाख रुपए में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रुपए में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरण राशि (लाख रुपए में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रुपए में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरण राशि (लाख रुपए में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रुपए में)
3 लाख रुपए तक के ऋण									

i) हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त ऋण जिनके लिए दावा किया जा रहा है, उनकी चुकौती समय पर की गई थी और 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन सबवेंशन का लाभ खाता धारकों को पहले ही दिया गया है, जिससे वर्ष 2018-19 / 2019-20 के दौरान ऐसे किसानों को संवितरित 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण / गंभीर प्राकृतिक आपदा के कारण पुनः संरचित ऋणों के लिए ब्याज दर घटाकर 4 प्रतिशत वार्षिक की गई है।

हस्ता/-

बैंक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ii) (सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा सबवेंशन दावे की शुद्धता का प्रमाण)

हस्ता/-

लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख :

(दावे के इस फार्मेट को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी फर्म की पंजीकरण संख्या और सभी हस्ताक्षरकर्ताओं की सदस्यता संख्या के साथ विधिवत प्रमाणित करना जरूरी है।)

* गंभीर प्राकृतिक आपदा के कारण पुनः संरचित ऋणों के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है